FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

दमीराराम बनाम ग्राम पंचायत अकड़ा कोटा

किस्म मुकदमा राव अपील नं. 02/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री पूनमाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 25 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/5/19 को पेश हो। [signature]	
27/05/19	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। उत्तरदातागण संख्या-2, 3, 4/1, 4/2 व 5/1 से 5/3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय जवाब पेश कर अपीलान्ट की अपील के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उत्तरदातागण संख्या-1 व 5/4 का नोटिस तामील होकर शामिल अप्राप्त। अपीलान्ट के अधिवक्ता [illegible] उत्तरदाता संख्या-1 व 5/4 का नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश करे, पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/06/19 को पेश हो। [signature]	251 24/07/19
18/06/19	अपीलान्ट व उत्तरदाता के वकील उपस्थित। अपीलान्ट के वकील द्वारा उत्तरदाता संख्या-1 व 5/4 का नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया गया। नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 05/08/19 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:05:36 IST
Reason: SelfAttested

05/10/19 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 22/10/19 को पेश हो।

22/10/19 — वकुलाय फरीकैन उपस्थित। उत्तरदातागण संख्या-1 व 5/4 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 3 माह का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई उत्तरदातागण संख्या-1 व 5/4 कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उत्तरदातागण संख्या-1 व 5/4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/11/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बाजतु

25/11/19 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश में है। अतः पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 09/12/19 को पेश हो।

09/12/19 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 26/02/2020 को पेश हो।

26/02/2020 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली इत्तला होकर। दिनांक 12/05/2020 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:05:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० अपील सं०-02/19 उनवान – हमीराराम v/s ग्रा०पं० [illegible]	
12/05/20	पत्रावली आज पेश हुई कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। अभाव पीठासीन अधिकारी डिग्गर कार्य में व्यस्त होने से मिशल ईल्लत होकर आगामी दिनांक 15/07/2020 को पेश हो।	
15/07/2020	वकुलाय करीबैन उपस्थित / उत्तरदातागण संख्या - 2 से 5/3 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में सहमती जाहिर की गई अपीलार्थी के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) आहोर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:05:36 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास आर.ए.एस.)

अपीलांट — **बनाम** — **उतरदातागण**

1. हमीराराम पुत्र विशनाजी,
जाति–राईका, निवासी–अकदड़ा,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

1. ग्राम पंचायत अकदड़ा
2. पन्ना उर्फ फताराम पुत्र उदाराम
3. दमाराम पुत्र उताराम
4. मृतक हरिया पुत्र विशनाजी के वारिसान
   4/1. खेमाराम पुत्र हरिया
   4/2. राणाराम पुत्र हरिया
5. पूनमाराम पुत्र विशनाजी फौत के वारिसान
   5/1. शेराराम पुत्र पूनमाराम
   5/2. लाभुराम पुत्र पूनमाराम
   5/3. ताजाराम पुत्र पूनमाराम
   5/4. राकूदेवी पत्नी पूनमाराम
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार बायतु

अपील सख्या – 02/2019 — **दिनांक :– 15/07/2020**

–: आदेश :–

अपीलांट के वकील श्री पूनमाराम चौधरी द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–289 दिनांक 06.05.1975 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील–बायतु, पटवार मण्डल अकदड़ा के ग्राम अकदड़ा के खसरा नम्बर 320, 333 रकबा क्रमशः 44.00, 41.01 बीघा व मौजा गिरली चारणान् के खसरा नम्बर 32 रकबा 61.01 बीघा में आई हुई हैं। अपीलांट के पिता विशनाजी के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट के भाईयों से नामान्तरकरण पारित किया गया है। जबकि अपीलांट भी विशनाजी का वारिश है। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम संयुक्त खातेदारी मौजा अकदड़ा में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांट द्वारा देरी के लिये धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को नोटिस जारी किये गये। उत्तरदातागण संख्या 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1 से 5/3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनमा मय जवाब पेश किया गया तथा अपीलांट की अपील के संबध में [illegible] जाहिर पेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:05:36 IST
Reason: SelfAttested

तरदातागण संख्या 1 व 5/4 की ओर से बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उत्तरदातागण 1 व 5/4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

नामान्तरकरण स0 289 दिनांक 06.05.1975 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट के पिता विशनाजी के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम विशनाजी के वारिसों के साथ दर्ज नहीं किया गया है। जबकि अपीलांट भी विशनाजी का विधिक वारिसान् है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलांट वकील को सुना गया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरी प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 06.05.1975 को खारिज किया जाकर, तहसील–बायतु, पटवार मण्डल अकदड़ा के ग्राम अकदड़ा के खसरा नम्बर 320, 333 रकबा 44.00, 41.01 बीघा में **पूर्व में दर्ज सहखातेदारों के साथ सहखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** उक्त आदेश के अनुसार तहसीलदार बायतु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2020 को [illegible] सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:05:36 IST
Reason: SelfAttested